

**न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.584 / 2012  
 संस्थित दिनांक-17.07.2012  
 फाईलिंग क.234503001462012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

नारायण मिश्रा पिता खेमराज मिश्रा, उम्र-50 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम पोण्डी, थाना रूपझर,  
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

----- **आरोपी**

-----  
 // **निर्णय** //

**(आज दिनांक-24 / 06 / 2016 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-22.03.2012 को दिन के 3:30 बजे, पानी टोला पुल के पास पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बोलेरो क्रमांक-एम. पी-50/टी-0352 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक रामविलास मात्रे ने एक शिकायत पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट को की थी, जिसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की थी एवं रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक बालाघाट को प्रस्तुत की। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शिकायत के अनुसार दिनांक-21.06.2012 को पुलिस चौकी उकवा, अंतर्गत थाना रूपझर में फरियादी रामविलास मात्रे की पुत्री काजोल, नुपूर, शशांक स्कूल की छुट्टी होने के बाद उकवा से ग्राम पोण्डी साईकिल से आ रहे थे, तब आरोपी नारायण मिश्रा अपनी बुलेरो गाड़ी को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाते हुए आया और उसके बच्चों की साईकिल के पास से ले गया, तब बच्चे साईकिल सहित पुल के उपर गिर गए। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अपराध क्रमांक-63/12. अंतर्गत धारा-279 का

अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश प्रस्तुत किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-22.03.2012 को दिन के 3:30 बजे, पानी टोला पुल के पास पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बोलेरो क्रमांक-एम.पी-50/टी-0352 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

**विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-**

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी रामविलास मात्रे (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। उसकी पुत्री काजोल, नुपूर और भतीजे शशांक ने उसे बताया था कि आरोपी ने अपना बोलेरो वाहन उसके बच्चों की साईकिल के पास से तेज गति से चलाया था, जिससे उसके बच्चे गिरते-गिरते बच गए। घटना की शिकायत उसने पुलिस चौकी में उकवा में की थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को घटना के विषय में शिकायत की थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं घटना होते हुए नहीं देखी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वाहन निकल जाने पर उसके बच्चे साईकिल से गिरे नहीं थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी के साथ घटना के पूर्व उसकी मारपीट हुई थी, जिसमें आरोपी लगभग तीन माह तक जेल में रहा था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने इंकार किया कि उसने बच्चों के साथ मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

6— ओमेश्वरी (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना वर्ष 2012 की है, उसकी पुत्री काजोल परीक्षा देने उकवा गई थी और उसकी पुत्री नुपूर तथा उसका भतीजा शशांक, काजोल को लेने के लिए उकवा गए थे। जब वे वापस आ रहे थे तो उकवा पुल के पास आरोपी बुलेरो वाहन को तेज गति से

लाया और उसकी पुत्री की साईकिल के पास से चलाया। यदि उसके बच्चे स्वयं को नहीं बचाते तो वे पुल से नीचे गिर जाते। आरोपी ने थोड़ी दूर पर वाहन रोका था और उसके बच्चों को देखकर हंस रहा था। इस घटना के पूर्व आरोपी ने उसके पति पर जान लेवा हमला किया था, जिस बात को लेकर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-307 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना घटित होते हुए नहीं देखी। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पति तथा आरोपी का आपस में विवाद है। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया कि यह बात उसकी जानकारी में है कि उपरोक्त प्रकरण में आरोपी मारपीट की घटना के साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा, इसी शर्त पर आरोपी को जमानत दी गई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी की जमानत निरस्त करवाने के लिए उसने बाद में अपने पति के साथ आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

7— अभियोजन साक्षी काजोल मात्रे (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना उसके बयान देने के 2-3 वर्ष पूर्व दोपहर के समय की है। घटना के समय वह अपने भाई और बहन के साथ उकवा से वापस अपने घर जा रही थी। वह अकेली अपनी साईकिल पर थी तथा आरोपी चार पहिया वाहन से आया और साईड बदलकर सड़क पर उसकी ओर आ गया। वह साईकिल से गिर गई थी। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पुनः यह कहा है कि वह साईकिल से गिर गई थी, यह बात उसने पुलिसवालों को बताई थी। साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 में साईकिल से गिरने की बात का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके भाई-बहन भी साईकिल से गिर गये थे, जबकि इस बात का उल्लेख प्रदर्श डी-1 के बयान में नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि गिरने से उसके पैर में खरोंच आई थी, परंतु उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्षी ने पूर्व में यह स्वीकार किया कि आरोपी का वाहन उसकी साईकिल से टकराया नहीं था।

8— अभियोजन साक्षी नुपूर मात्रे (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक वह अपने भाई शशांक और बहन काजोल के साथ उकवा से पोंडी की ओर जा रही थी। वह शशांक के साथ साईकिल में बैठी थी तथा दूसरी साईकिल उसकी बहन काजोल चला रही थी। आरोपी अपने वाहन से आया और उन लोगों की साईकिल के पास से अपने वाहन को इस प्रकार से निकाला कि यदि वह अपनी साईकिल नहीं हटाती तो दुर्घटना हो जाती और वह नाले में गिर

जाती। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसकी साईकिल तथा उसकी बहन काजोल की साईकिल एक साथ सड़क पर चल रही थी। साक्षी ने यह बात स्वीकार किया कि घटना के समय सड़क पर एक साईकिल और एक जीप एक साथ निकल सकते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब आरोपी का वाहन उनकी साईकिल के पास से निकला, तब उन्होंने साईकिल को आगे पीछे किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी के वाहन से उसकी साईकिल का हैंडल और पैडल टकराया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने अपने पुलिस कथन प्रदर्श डी-2 में यह बात बताई थी, किन्तु उसके प्रदर्श डी-2 के कथन में उपरोक्त बात के उल्लेख का अभाव है।

9— अभियोजन साक्षी शशांक मात्रे (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व की है। वह अपनी बहन नुपूर के साथ काजोल को लेने उकवा गया था। वह तथा नुपूर एक साईकिल में थे और काजल अलग साईकिल में थी। आरोपी सामने से आया और तेज गति से उसकी साईकिल के पास से अपने वाहन को निकाला। यदि उसकी बहन काजोल उसे अपनी ओर नहीं खींचती तो आरोपी के वाहन से उसकी दुर्घटना हो जाती। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उकवा से पोंडी जाने वाली सड़क सकरी है, जहां से केवल दो वाहन निकल सकते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुल से एक बार में एक ही वाहन निकल सकता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया कि उसकी साईकिल आरोपी के वाहन से नहीं टकराया था। साक्षी ने कहा है कि आरोपी के वाहन से उसका पैर टकराया था, परंतु यह भी कहा है कि उसे पैर में चोट नहीं आई थी।

10— अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक कपूरचंद बिसेन (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक-21.06.12 को चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रामविलास के लिखित आवेदनपत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक बालाघाट से लिखित निर्देश प्राप्त होने पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/12, धारा-279 भा.द.वि. के तहत आरोपी नारायण मिश्रा के विरुद्ध प्रधान आरक्षक दुर्गाप्रसाद भगत ने लेख किया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसके बी से बी भाग पर प्रधान आरक्षक दुर्गाप्रसाद भगत के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण उनके हस्ताक्षर पहचानता है। पुलिस निर्देश पत्र क्रमांक-93/12, दिनांक-14.06.12 जिसमें रामविलास मात्रे की शिकायत के संबंध में आवेदन संलग्न प्राप्त हुआ था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बालाघाट के हस्ताक्षर हैं। शून्य पर दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा गया था। उक्त अपराध क्रमांक-63/12 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान दिनांक-21.06.



12 को प्रार्थी रामविलास एवं काजोल की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी रामविलास, शशांक, नुपुर, काजोल, ओमेश्वरी के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-16.07.12 को आरोपी नारायण मिश्रा से साक्षियों के समक्ष एक बोलेरो वाहन क्रमांक-एम.पी-50 टी/0352 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण नैनदास से करवाकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा विवेचना 22 जून वर्ष 2012 के पश्चात् की गई थी, जबकि घटना घटना होने की तारीख 22 मार्च 2012 थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने घटना का मौकानक्शा थाने में बैठकर अपने मन से बनाया था तथा इस बात से भी इंकार किया कि उसने आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया है।

11- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किये जाने का अभियोग है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अनुसार "लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हॉकना-जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसी उतावलेपन सया उपेक्षा से कोई चलायेगा या सवार होकर हॉकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भौति के कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा। इस प्रकार वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने से इस धारा अंतर्गत अपराध किया जाना पाया जा सकता है। आरोपी ने बचाव के प्रक्रम पर सूचनाकर्ता रामविलास मात्रे के सत्र प्रकरण क्रमांक-29/2012 के बयानों की सत्यप्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की है। प्रकरण में सूचनाकर्ता रामविलास मात्रे (अ.सा.2) तथा ओमेश्वरी (अ.सा.1) ने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय वे घटनास्थल पर नहीं थे, उन्हें घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी अनुश्रुत श्रेणी के साक्षी हैं, इसलिए घटना के समय आरोपी वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चला रहा था, यह बात उपरोक्त साक्षी के न्यायालयीन परीक्षण से सिद्ध नहीं मानी जा सकती।

12- अभियोजन साक्षी काजोल मात्रे (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि घटना के समय वह साईकिल से गिर गई थी, जबकि प्रदर्श डी-1 के कथनों में साईकिल से गिरने वाली बात उसने नहीं लिखाई है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा कि वह

उसके भाई-बहन भी साईकिल से गिर गए थे। अभियोजन साक्षी काजोल (अ.सा.3) ने यह स्वीकार है कि घटना के समय उसकी साईकिल आरोपी के वाहन से टकराई नहीं थी, जबकि साक्षी नुपूर (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसकी साईकिल का हैंडल एवं पैडल जीप से टकराया था। यही बात साक्षी शशांक मात्रे (अ.सा.5) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि आरोपी की जीप से उसका पैर व हैंडल टकराया था। यह अविश्वसनीय है कि तेज गति से चलती हुई जीप से किसी साईकिल का हैंडल अथवा चालक टकरा जाए और उसे नाम मात्र की भी चोट न आए। बचाव पक्ष ने मौके पर उपस्थित एवं घटना के चक्षुदर्शी साक्षी काजोल मात्रे (अ.सा.3), नुपूर (अ.सा.4) तथा शशांक (अ.सा.5) ने यह कहा है कि जहां घटना हुई थी। वहां सड़क की स्थिति इस प्रकार की थी, कि एक बार में एक वाहन सड़क पर निकल रहा हो तो एक साईकिल ही पास से निकल सकती थी।

13— उपरोक्त साक्षीगण ने यह कहा है कि सड़क सकरी थी तो एक बार में अधिक से अधिक दो वाहन सड़क पर निकल सकते हैं। इस प्रकार यह आशय निकाला जा सकता है कि यदि कोई वाहन सड़क से निकल रहा हो तो वह आसपास चलने वाली साईकिल अथवा अन्य वाहन से अधिक दूर से नहीं निकल सकता। इसके अतिरिक्त घटना के विवरण के विषय में विचार किया जावे तो अभियोजन साक्षी काजोल मात्रे का कहना है कि वह साईकिल अपने साईड में ले गई, तो आरोपी ने अपना साईड बदला और उसके साईड में वाहन चलाया था, जबकि साक्षी नुपूर मात्रे का कहना है कि घटना के समय वह अपनी बहन की साईकिल के साथ अपनी साईकिल चला रही थी और आरोपी का वाहन आने पर उसने अपनी साईकिल काजोल की साईकिल से आगे-पीछे की थी। इस विषय में शशांक मात्रे (अ.सा.5) का कहना है कि आरोपी का वाहन पुल के सामने से आ रहा था, इसलिए वह साईड में रुक गया था। इस प्रकार उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास प्रकट हो रहा है।

14— प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सूचनाकर्ता रामविलास मात्रे ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि आरोपी के साथ उसका पूर्व विवाद है, जिसमें उसके द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को निरोध में रहना पड़ा था। यह बात साक्षी ओमेश्वरी (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके पति की राजनैतिक पहुंच, पहचान व प्रतिष्ठा है और उसके पति का आरोपी से पूर्व विवाद है। घटना के तत्काल पश्चात् आरोपी द्वारा पुलिस चौकी उकवा अथवा थाना रूपझर में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई थी, यह बात अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। दुर्घटना की दिनांक-22.03.2012 बताई गई है, वहीं घटना की रिपोर्ट दिनांक-21.06.2012 को लेख की गई है और

यह रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर लेख होना दर्शित है। समस्त परिस्थितियों को देखते हुए इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि रंजिश वश आरोपी को झूठा फंसाया गया हो और घटना के विषय में बढा-चढाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई हो, क्योंकि समस्त अभियोजन साक्षी जो मौके पर उपस्थित थे उनके द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में विरोधभास प्रकट हुआ है। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

15— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

16— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

17— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बोलेरो क्रमांक-एम.पी-50/टी-0352 को सुपुर्ददार रंजित कुमार अग्रवाल पिता लीलाप्रसाद अग्रवाल, निवासी ग्राम उकवा, तहसील बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

fu.kZ; [kqys U;k;ky; esa gLrk{kfjr o  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर,  
दिनांक-24.06.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट